प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **96/2025** (अपील सूचना का अधिकार)
लक्ष्मीलाल जैन एडवोकेट सेशन कोर्ट, रॉयल चैम्बर्स, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गोगुन्दा, उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 28.03.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/96/25/640–41 दिनांक 02.07.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू.का.अ.2005/अपील/75 दिनांक 28.07.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा जो अपील की गई है उसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक सू.का.अ./2005/2025/129 दिनांक 28.04.2025 को प्रेषित किया जा चुका है अतः निवेदन है कि अपील को निस्तारित फरमाए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा अपने प्रत्युत्तर में कथन किया है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्रांक 129 दिनांक 28.04.2025 से उपलब्ध करवा दी गई है। परन्तु प्रत्युत्तर के साथ संलग्न प्रार्थी को प्रेषित किये गये विनिश्चिय दिनांक 28.04.2025 में प्रत्यर्थी द्वारा अंकित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्र.स. 25/2025 निर्णय दिनांक 27.01.2025 पत्रावली क्रमांक पै–प()राज./2025/25 की पत्रावली चाही गई, जिसे ढूंढा गया परन्तु पत्रावली नहीं मिली जिससे पत्रावली की छाया प्रति दिया जाना संभव नहीं है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गोगुन्दा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की गहन खोज कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये। रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

कराये तथा रिकॉर्ड संधारित करने से संबंधित कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए 15 दिवस के भीतर न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/07/25 को लिखवाया जाकर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर